ब न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

(3)

वाद संख्या 18 / 2020
धारा 144 दं0प्र0सं0

मालो देवी वगै0
—बनाम—
अनवर अंसारी वगै0

तारिख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति
18/03/21	आवेदक के आवेदन पर दिनांक 22.01.2021 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई एवं थाना प्रभारी, पदमा ओ0पी0 से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्षो से कारण पृच्छा प्राप्त है।	

विवादित भूमि का विवरण निम्न है।

मौजा— अडार, थाना— पदमा ओ0पी0, जिला—हजारीबाग

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
45	1274	32 डी0 मधे 06 डी0	उ0—रास्ता
45	1275	14 डी0 मधे 07 डी0	द0—अनवर अंसारी
			पू0—गणेश चौधरी
			प0—अनवर अंसारी

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं कारण पृच्छा में कहा है कि खाता नं0 45 की भूमि मंगल गोप और समारा गोप के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयतो के बीच भूमि का बाहिस्सा बराबर बंटवारा हुआ और दोनों कुल रकवा 2.88 डी0 में से 1.44 डी0 के हिस्सेदार हुए। मंगल गोप की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बुधनी देवी 1.44 डी0 की हकदार हुई और बुधनी देवी की मृत्यु के बाद उसकी बेटी बिगनी देवी अपने ससुराल में बस गई। बुधनी देवी एवं उसकी बेटी ने अपने हिस्से की भूमि 1.44 ए0 जानकी साव को बेच दिया परंतु बुधनी देवी एवं उसकी बेटी ने अपने शेयर से अधिक भूमि को विक्रय कर दिया।

खतियानी रैयत सोमरा गोप आधे भूमि $\frac{1}{2}$ शेयर पर दखलकार हुए परंतु वे जमीन का लगान जमीनदार को अदा नहीं कर पाए जिसके कारण भूतपूर्व जमीनदार ने उसकी भूमि सीज कर ली अब यह जमीनदार की भूमि हो गई। सोमरा गोप की मृत्यु हो गई और इसका कोई संतान नही था। उसके बाद भूतपूर्व जमीनदार ने पन्नु गोप को 15.03.1932 में जमीन हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्त कर दिया इसके बाद पन्नु गोप ने जमीनदार को लगान दिया और जमीनदारी प्रथा के बाद सरकार को लगान देते आ रहे है एवं भूमि पर दखल कब्जा है। पन्नु गाप की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र हुए हुलास गोप और नुनु गोप जिन्होने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर लिया जिसमें 1274 प्लॉट कुल रकवा 6 डी0 में 3 डी0 और 1275 में 7 डी0 में $3\frac{1}{2}$ डी0 शेयर के हकदार हुए। नुनु गोप ने अपने हिस्से की जमीन अपनी पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया और उसकी पत्नी ने निबंधित केवाला से बुधनी देवी पति बुडु गोप को जमीन विक्रय कर दिया जमीन क्रय करने के बाद बुधनी देवी दखल मे आई एव उसके नाम से दाखिल खारीज होकर लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। आवेदक चान्दो गोप बुधनी देवी का पुत्र हुआ। जो की अपनी माँ द्वारा केवाला से खरीदगी जमीन का हकदार हुआ। जिस पर द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजबरन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल किया है।

1. केवाला संख्या 8507 दिनांक 11.07.1978
2. केवाला सं0 12361 दिनांक 29.07.2004
3. नुनु गोप के नाम से निर्गत लगान रसीद
4. सरकारी मालगुजारी रसीद

Nuia. 18/3/21

द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा मे कहा है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान [illegible] गोप और समरा गोप के नाम से दर्ज है। समरा गोप की कोई संतान न होने के कारण [illegible] जमीन मंगला गोप को प्राप्त हो गई। मंगला गोप की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी बुधनी [illegible] और एक बेटी बिगनी देवी हुई। इसलिए खाता नं0 45 की सारी भूमि मंगला गोप के वशज [illegible] प्राप्त हो गया। मंगला गोप की पत्नी बुधनी मसो0 और बेटी बिगनी देवी ने खाता नं0 45 [illegible] 1274 और प्लॉट 1275 एवं अन्य प्लॉट कुल रकवा 1.83 ए0 जानकी साव पिता लाडो साव [illegible] निबंधित केवाला संख्या 3127 दिनांक 20.02.1968 के द्वारा विक्रय कर दिया। जानकी साव [illegible] तीन बेटे हुए त्रिलोकी साव, भगवान साव, रामवृक्ष साव, रामवृक्ष साव की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सुभा मसोमात हुई।

त्रिलोकी साव, भगवान साव, सुभा मसोमात ने प्लॉट नं0 1274 रकवा 12 डी0 एवं प्लॉट नं0 1275 रकवा 14 डी0 एवं अन्य प्लॉट की जमीन जोहरा खातुन पत्नी अनवर अंसारी को निबंधित केवाला संख्या 4887 दिनांक 06.06.2012 के द्वारा बेच दिया एवं यह भूमि जोहरा खातुन के दखल कब्जा में आ गई। इसके बाद जोहरा खातुन ने जमीन का दाखिल खारीज करा कर लगान रसीद की निर्गत होता आ रहा है। अंचल अमीन पदमा ने भी अपने जॉंच प्रतिवेदन में कहा है कि द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बरहीके पत्रांक 1438 दिनांक 13.10.2020 के आलोक में अंचल अधिकारी पदमा ने अपना जॉंच प्रतिवेदन पत्रांक 77 दिनांक 16 मार्च 2021 को दिया है।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है।

1. Sale Deed No 3127 dt. 20.02.1968 in the name of Janki Saw
2. Sale Deed No 48 dt. 06-06-2012 in the name of Zohra Khatoon
3. Online Rent Receipt.
4. Amin Report.
5. Report of Circle Officer vide letter No. 77 Dated 16.03.21

अंचल अधिकारी, पदमा ने अपने पत्रांक 77, दिनांक 16.03.2021 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि मौजा अडार के खाता नं0 45, प्लॉट नं0 1274 रकवा 12.00 डी0 प्लॉट नं0 1275 रकवा 14 डी0 एवं अन्य प्लॉट की भूमि कुल प्लॉटो की संख्या 41 एवं कुल रकवा 1.83 ए0 भूमि विक्रय पत्र संख्या 4887 दिनांक 06.06.2012 से प्राप्त है एवं दाखिल खारिज होकर द्वितीय पक्ष (अनवर अंसारी) के नाम से लगान रसीद वर्ष 2019–20 तक निर्गत है। यह भूमि विक्रेता को मूल खतियानी रैयत से क्रय से प्राप्त है। स्थल जॉंच में अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट नं0 1274 एवं 1275 की उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का चाहरदिवारी की हुई है। जिसके अन्दर कॉंरकेट का मकान आंशिक भाग पर बना हुआ है और शेष भाग पर मकान बनाने के लिए कॉलम खडा किया गया है। यह भूमि द्वितीय पक्ष के दखल कब्जा में है। प्रथम पक्ष सुरेश गोप वगैरह पिता बुन्दो गोप के द्वारा बुधनी देवी पति बुन्दो गोप के नाम से केवाला सं0 12361 दिनांक 29.07.2004 दिया गया है। जिससे ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष ने घमनी देवी पति नुनु गोप से खाता 11, 45, 61, 26, 104 की कुल भूमि $3.46\frac{1}{2}$ ए0 भूमि भी खरिदी है और जिसमें खाता 45 का उपरोक्त प्लॉट 1274 रकवा 03 डी0 एवं 1275 का 3.5 डी0 भूमि शामिल है। इसका दाखिल खारिज वर्ष 2011–12 में कैंप कोर्ट में कराया गया है। जिसके आलोक में उक्त भूमि का वर्ष 2015–16 मे $3.46\frac{1}{2}$ ए0 मधे $2.26\frac{1}{2}$ ए0 का रसीद निर्गत है। जिससे यह साबित नहीं हो पाता है कि प्रथम पक्ष के विक्रेता को यह भूमि खतियानी रैयत से कैसे प्राप्त थी।

द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के क्रेता से भूमि क्रय कर दाखिल खारीज करा कर भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में है एवं प्रथम पक्ष के द्वारा बिना दखल कब्जे का भूमि पर केवाला दिखाना तथा वर्ष 2011–12 में दाखिल खारित करा कर रसीद निर्गत कराना बिल्कुल गलत है।

Naveen 18/3/21

(4)

अतः इस मामले में द्वितीय पक्ष (अनवर अंसारी) का दावा सही है तथा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के दाखिल खारीज के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय मे अपील दायर कर सकते है। ताकि प्रथम पक्ष की जमाबंदी आदेशोपरांत रद्द किया जा सके।

उभय पक्षो के कारण पृच्छा विज्ञ अधिवक्ता को सूनने कागजात के आवलोकन से एव अंचल अधिकारी, पदमा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह मामला एक ही भूमि का दोहरा जमाबंदी से संबंधित है।

अतः इस मामले का निपटारा इस न्यायालय से संभव नहीं है। पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Naia 18/3/21

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Naia. 18/3/21

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:08:46 +05:30
Location: 192.168.101.22